



2026:AHC:5328

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 17643 वर्ष 2025

केश कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : दिलीप चन्द्र मिश्रा, सागर सक्सेना

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप चंद्र मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल के तर्कों को सुना।
- चूंकि दोनों पक्षों के बीच प्रतिउत्तर हलफनामे का आदान-प्रदान हो चुका है और वे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। दोनों पक्षों की सहमति से याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1999 में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, कदाचार के आरोपों के कारण याचिकाकर्ता को 22.11.2011 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी जिसे 18.12.2012 को खारिज कर दिया गया था और पुनरीक्षण याचिका 20.06.2013 को खारिज कर दी गई थी, जिसे दावा याचिका संख्या 586/2014 में चुनौती दी गई थी, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा 29.04.2024 को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 2/6.07.2025 को सेवा में बहाल कर दिया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया और उसके बाद, 11.08.2025 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस अधीक्षक, हाथरस द्वारा 22.11.2011 से 06.07.2025 की अवधि को 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' की अवधि मानते हुए एक आदेश पारित किया गया।

4. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि एक बार बर्खास्तगी, अपील और पुनरीक्षण आदेश को सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया था, तो उक्त आदेश को चुनौती न दिए जाने के कारण, याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रति हलफनामे में दिए गए कथनों के आधार पर यह तर्क देने का प्रयास किया है कि 28.08.2008 का एक सरकारी आदेश है, जिसके अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी निश्चित अवधि तक काम नहीं करता है तो वह वेतन भुगतान का हकदार नहीं है।

7. मैंने न्यायालय में दिए गए इस प्रकार के निवेदन को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश उस दावा याचिका में चुनौती का विषय था जिसे स्वीकार कर लिया गया था, जिसका प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

"उपरोक्त समीक्षा के प्रकाश में याची की याचिका स्वीकार की जाती है याची के विरुद्ध पारित पदच्युत संबंधी दण्डादेश दिनांकित 22-11-2011, अपीलीय आदेश दिनांकित 18-12-2012 एवं पुनरीक्षण निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 30-06-2013 (संलग्नक संख्या 1, 2 एवं 3) को निरस्त करते हुए विपक्षीगण को निर्देशित किये जाते हैं तथा उपरोक्त आक्षेपित दण्डादेशों के निरस्तीकरण के उपरान्त याची को देग समस्त सेवा संबंधी लाभ इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्ति के तीन माह के अंतर्गत उसे प्रदान किया जाये।"

9. उक्त आदेश प्रतिवादियों द्वारा लागू किया गया था, लेकिन अब 22.11.2011 से 06.07.2025 तक की अवधि को 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' की अवधि माना गया है।

न्यायालय की राय में, अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश को रद्द करने के बाद परिणामी लाभों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए एक आदेश जारी होने के बाद, प्रतिवादियों द्वारा परिणामी लाभों का भुगतान न करना उचित नहीं था। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 22808/2003 (भारत संघ बनाम प्रवीण कुमार और अन्य) में 22.05.2003 को दिए गए निर्णय में वर्तमान मामले के समान एक स्थिति पर विचार किया था, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

अतः उपरोक्त के आलोक में, ट्रिब्यूनल द्वारा अपने 2.4.2002 के निर्णय एवं आदेश में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों की योग्यता और सत्यता चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता भारत संघ के लिए ट्रिब्यूनल से ऊपर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठकर इस मुद्दे को पुनः उठाना उचित नहीं था। उसे ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के निष्पादन/कार्यान्वयन की सीमित भूमिका सौंपी गई थी और किसी भी परिस्थिति में उसे उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील में बैठने की क्षमता प्राप्त नहीं हो सकती थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता भारत संघ द्वारा 7.5.2002 को पारित आदेश को 31.3.2003 के निर्णय एवं आदेश द्वारा उचित रूप से निरस्त कर दिया गया है। श्री बी. एन. सिंह द्वारा राजीव यादव (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर आधारित दलीलों में हमें कोई दम नहीं लगता, क्योंकि उक्त मामले के तथ्य बिल्कुल भिन्न हैं और उक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता। एक बार यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में आंतरिक उम्मीदवार के लिए उपलब्ध एक रिक्ति सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए थी, तो यह बात यह पद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त रिक्ति के विरुद्ध आवंटन की वैध अपेक्षा थी।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, हमारा यह मत है कि याचिकाकर्ता भारत संघ ने 7.5.2002 के आदेश को पारित करते समय अपनी क्षमता/अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसे न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की भूमिका कभी सौंपी ही नहीं गई थी। उसे 2.4.2002 के निर्णय और आदेश के निष्पादन की सीमित भूमिका सौंपी गई थी। न्यायाधिकरण ने 31.3.2002 के निर्णय और आदेश द्वारा इस आदेश को उचित रूप से निरस्त कर दिया है। इस मामले में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जिसके लिए न्यायिक समीक्षा के सीमित अधिकार क्षेत्र में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

अतः याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) चौथे प्रतिवादी, पुलिस अधीक्षक, हाथरस द्वारा दिनांक 11.08.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है; (ख) मामले को दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।

11. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)